

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2017

जयपुर, दिनांक 12 मई, 2017

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2017/1278 दिनांक 01.03.2017 द्वारा घोषित संलग्न कार्यक्रम के अनुसार राजसमन्द जिले की ग्राम पंचायत कूकड़ा, लसाड़िया, थानेटा एवं सवाईमाधोपुर जिले की ग्राम पंचायत भांवरा के आम चुनाव माह मई, 2017 दिनांक 16.05.2017 (मंगलवार) को होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के उक्त आम चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 16.05.2017 (मंगलवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के (संलग्न सूची के अनुसार) कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा।



(शरद मेहरा)

निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/ शासन सचिवगण।
9. संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं भरतपुर, राजस्थान।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. जिला कलक्टर, राजसमन्द एवं सवाई माधोपुर राजस्थान।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु।
14. मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
15. सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी राजस्थान।
16. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।

- 17.वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
- 18.मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम,मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।
- 19.मैनेजर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर।
- 20.संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।
- 21.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
- 22.मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।
- 23.महामन्त्री, राजस्थान बैंक कर्मचारी संगठन, गोपालजी का मन्दिर, जयपुर।
- 24.सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन, द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।
- 25.अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एम.आई.रोड़, जयपुर।
- 26.महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग, जयपुर।
- 27.अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
- 28.अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, 0जयपुर।
- 29.मन्त्री, को-ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन , कोटा।
- 30.वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
- 31.अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
- 32.महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।


उप शासक सचिव

पंचायतीराज संस्थाओं में माह मई, 2017 में होने वाले
चार ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम

(पं.सं. भीम जिला राजसमंद की ग्राम पंचायत कूकडा, लसाडिया, थानेटा
एवं पं.सं. बामनवास जिला सवाईमाधोपुर की ग्राम पंचायत भांवरा)

1.	नियम 23 के सपठित नियम 55, 56 व 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दि. 03.05.2017 (बुधवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापिसी	दि. 11.05.2017 (गुरुवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति	प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक
	(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
	(3) अभ्यर्थिता वापिसी	अपरान्ह 3 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, होगा	दि. 16.05.2017 (मंगलवार)
4.	मतदान का समय	प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक
5.	मतगणना	दि. 16.05.2017 (मंगलवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	उप सरपंच का चुनाव	दि. 17.05.2015 (बुधवार)

30/5/17